

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यालय, अनुश्रवण

संसाधन-लघुजल-संसाधन-विभाग-मुख्यालय-अनुश्रवण-1600(मौ०) /पटना, दिनांक-21/8/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुंगेर।

विषय:-मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखण्ड के दुर्गापुर पंचायत के अन्तर्गत नवगाँई गांव के भलुआरी पोखर को मत्स्य पालन विभाग से मुक्त कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-श्री प्रमोद कुमार सिंह एवं अन्य ग्रामीणों से प्राप्त अभ्यावेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में श्री प्रमोद कुमार सिंह, ग्राम-नवगाँई, प्रखण्ड-संग्रामपुर, पंचायत-दुर्गापुर द्वारा मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखण्ड के दुर्गापुर पंचायत अन्तर्गत नवगाँई गांव के भलुआरी पोखर को मत्स्य पालन विभाग से मुक्त कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रासंगिक पत्र की छाया-प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना की जांच कर ली जाय। योजना का रकवा 05 एकड़ से अधिक हो तथा विभाग द्वारा कराये जाने वाली Criteria को पूरा करता है तो इस पर जिला परामर्शदातृ समिति की अनुशंसा प्राप्त करने हेतु जिला पदाधिकारी को भेजा जाय।

विश्वासभाजन,

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-1600(मौ०)

/पटना, दिनांक-21/8/2020

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-1600(मौ०)

/पटना, दिनांक-21/8/2020

प्रतिलिपि- श्री प्रमोद कुमार सिंह, ग्राम-नवगाँई, प्रखण्ड-संग्रामपुर, पंचायत-दुर्गापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

फॉक 03

दि 01.7.2020

45

प्रेषक - प्रमोद कुमार सिंह, ग्राम + पो 0 - नवगाँव, थाना एवं ऑफिस - संत्रामपुर (मुँगेर)
7.2020 प्रेषित - इ 0 खीन्दू कुमार सिंह, अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) मधुआशी पोखर, मधुआशी पोखर संसाधन विभाग,
विहार सरकार पटना। -"

विषय - मुँगेर जिला के संत्रामपुर प्रखण्ड के दुर्गापुर पंचायत के अन्तर्गत
नवगाँव गाँव के मधुआशी पोखर के मत्स्य पालन विभाग से मुक्त
कराने के सम्बन्ध में -

प्रसंग - फॉक - 01 दि 16.12.2019, फॉक 02 दि 03.2.20 (जिलाधिकारी मुँगेर
एवं मुख्य मंत्री विहार सरकार के सेवार्थ)

महोदय!

उक्त आलोक के संदर्भ में सूचित करना है कि विगत दि 18.02.
2020 को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मुँगेर, मधुआशी संसाधन
- न विभाग के कार्यालय में सुनवाई हुई। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
ने मत्स्य पालन विभाग को नोटिस में जाई मधुआशी पोखर से पटवर्ग
वाधित होने के कारण किसानों ने अपना इलाकर कर अपनी
सहमति जताई। साथ में विगत दि 13.06.20 का Sub-divisional
Magistrate, Madhubani के ऑफिस का क्लेर शीट भी

रवि
2/4
17

3209 (मौ)

08-07-2020

संभवन किया गया है।
क्लेर शीट के साथ किसानों की इलाकर की प्रति, जिला
धिकारी मुँगेर और मुख्य मंत्री विहार को फॉक 02 दि 03.20
को भेजी गई है।

18.03.20 को पुनः दूसरी तिथि निर्धारित की गई। किन्तु मत्स्य पालन
विभाग से किसी कर्मचारी की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। पुनः
स्मार पत्र के माध्यमसे अगले तिथि 21.4.20 की जानकारी दी
गई।

Lock- स्टॉप के चलते न तो किसी की उपस्थिति दर्ज हुई और
न तो अगली सुनवाई हो सकी, और न तो मधुआशी पोखर
मुक्त करने वाले किसी तरह की कारगर कार्यवाई की जा
सकी है। किसानों की स्थिति आज भी जस की तस है।

अतः निवेदन है, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर
अवश्यक एवं कारगर कार्यवाई कर, पोखर को मुक्त कराकर
किसानों को लाभान्वित किया जाय।

अनुपबन्धक - ① किसान का इलाकर की प्रति - 1 Pc
② अनुमति पत्राधिकारी मुँगेर का क्लेर शीट की प्रति - 2 Pc

आपका विश्वासभाजन
प्रमोद कुमार सिंह,
9310196986

मुंगेर जिला के संग्रामपुर अंचल के दुर्गापुर ग्राम पंचायत के अन्तर्गत नवगाँई गाँव के मनुआशी पारवरसेपटवन होने वाले सामान्जिक कृषकों का हस्ताक्षर:—

कृषक का नाम — मो नं० — — मोबा का नाम

- ① प्रमोद कुमार सिंह - 9310196986 - नवगाँई सेवक लिमिटेड
- ② सज्जन कुमार सिंह - 7033102903 - जवगाँई, पाँदपुरा, बलिया,
- ③ कुमार सत्यजीत सिंह - 6202283278 - " " "
- ④ मुकेश कुमार सिंह - 9934887352 - "
- ⑤ राकेश कुमार राशन - 9931074568 - " "
- ⑥ अजीत कुमार सिंह - 6204205555 - पाँदपुरा
- ⑦ संदीप सागर - 9570238601 - " "
- ⑧ रमेश कुमार सिंह - 9546589448 - " "
- ⑨ जीवेश सिंह - 9102721439 - पाँदपुरा
- ⑩ राजेश सिंह - 7091473822 - पाँदपुरा
- ⑪ अनसूया देवी सही निशान - 7970722250 - "
- ⑫ गुरुमन सिंह - 9931204990 - पाँदपुरा
- ⑬ कृष्ण कांत सिंह - 6203502607 - नवगाँई - पाँदपुरा
- ⑭ जतिन कुमार सिंह - 7185875610 - पाँदपुरा
- ⑮ अशोक कुमार सिंह - 9939392373 - नवगाँई
- ⑯ उदय कुमार सिंह - 9939312276 - जवगाँई
- ⑰ Rajesh Kumar - 939948692 - बलिया
- ⑱ Seman Kumar Singh - 9473196178 - Nowgama
- ⑲

402

Date of application for the copy. 7/5/61	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	and folios.	for delivery. 12/8/61	[Signature] 14/8/61

FORM OF ORDER SHEET.

COURT OF THE SADAR SUBDIVISIONAL MAGISTRATE, MONCHYR.
Case No. 279 Misc. of 1961.

Tiebeni Singh and 2 others. Versus. Ram Rajit Singh 7 and others.

Serial No.	Date of order proceeding.	Order with the signature of the Court.	Office action taken with date.
1.	2.	3.	4.

x	x	x	x
5.	13.6.61.	1st party file hazri. 2nd party also filed hazri. Show cause on behalf of both the parties has been filed today. Heard the learned lawyers for both the parties. The point in issue is whether the Panchait can create a new right or can manage the existing rights. From a careful perusal of the show cause filed by both the parties as well as the police report in this case as also from the arguments advanced by the learned lawyers for both the parties it is clear that the first party had been enjoying the right of irrigation whereas the second party's right for fishing is a sort of creation of a new right. How far this creation of new right is legally correct and proper is another issue to be decided by competent court of law. In so far as this court is concerned it is sufficient to see as to which party's what right is established and which party is creating a new right. Obviously the first party's right of irrigation is established, hence	



Date of application for the copy.	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	Date of delivery of the requisite stamps and folios.	Date on which the copy was ready for delivery.	Date of making over the copy to the applicant.

hence the rule under section 144 Cr.P.C. is vacated in favour of the first party and is made absolute against the second party who are restrained from going over the pond or Pyne or Pokhar in question for exercising right of fishery by obstructing irrigational processes of the first party.

Sd.M.P. Singh.

Subdivisional Magistrate.

Typed by

Barburi
Typist. 2/16/61

Compared by

[Signature]
Comparer. 2/16/61

प्रमाणित प्रतिलिपि,

[Signature]
महाफौज कार्यालय, 92/449

भाग ७६ विभाग १ सन् १९७१